आज दिनांक 5/5/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण न्यायायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/5/25 को पेश हों।

आज दिनांक 23/5/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण न्यायायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हों।

2/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उपस्थित। प्रकरण उपस्थित होना चाहिये। मुख्य वेतन अपराधियों का कुसूर है। परिस्थिति में प्रकरण अपराधियों विरुद्ध चालान पारित करने कार्यवाही दिनांक 27/5/25 को पेश हो।

22/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उपस्थित। वकील परिवादी आज उपस्थित नहीं होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पार्टी आज व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकते।

टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी संख्या

प्रस्तुत किया है। बाढ़ी खाद वाया छाड़त करते समय व वर्तमान में जमाबंदी मुताबिक पंजकार भिन्न-भिन्न है। वकील बाढ़ी खाद मालिक तक कोई नहीं है। सम्पत्ति का बंटवारा नहीं किया है व वाद न्यायालय से छुपाये है। भिन्न-भिन्न पंजकार होने के कारण नहीं किया जा सकता। बाढ़ी का वाद खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी के द्वारा जारी पंजकारी का अवलोकन किया गया। अवलोकन वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन किया गया। वाद छाड़त समय व वर्तमान जमाबंदी में पंजकार भिन्न भिन्न है। बाढ़ी खाद की न्यायालय में ऐसा कोई नियम है। जिससे ज्ञात हो कि सम्पत्ति का बंटवारा नहीं किया है जिससे पंजकार जमाबंदी पंजकार किस प्रकार अलग-अलग जमाबंदी के अंकित है। ऐसी स्थिति में लगातार किया जाना उचित नहीं है। बाढ़ी का वाद, बाढ़ी के अतिरिक्त में तथा वाद भूमि प्रतिवादी को सम्मिलित करते हुये पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पक्षकारी खर्चा खुद होकर देय होगा। निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को लिखाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

रा.के.मु.प.-866-2,00,000-06.